राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(वि. 827 / 2013) / अलेसे–II / 434 **दिनांक** :– 17-9-25

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश पत्र संख्या 2025–32 दिनांक 13.01.2025 द्वारा श्री विक्रम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं.12707) को दिनांक 13.01.2025 मध्याहन पश्चात् से निलम्बित किया गया। श्री विक्रम शर्मा ने दिनांक 17.01.2025 को निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर में उपस्थिति दी गयी।

श्री शर्मा ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.09.2025 द्वारा अवकाश आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 14.01.2025 मकर संक्रान्ति का राजकीय अवकाश उपभोग करते हुए दिनांक 15.01.2025 से 16.01.2025 तक, दो दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।

विभागीय आदेश पत्र क्रमांक 894–97 दिनांक 06.08.2025 द्वारा श्री शर्मा को आरोपों से उन्मोचित कर निलम्बन से बहाल किया जा चुका है तथा निलम्बन अवधि को समस्त वेतन–भत्ते देते हुए समस्त प्रयोजनार्थ सेवा–काल अवधि मानी गयी है। विभागीय आदेश संख्या 375 / 2025–26 दिनांक 20.08.2025 द्वारा श्री शर्मा का **'आदेशों की प्रतीक्षा'** से पदस्थापन महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (एक्स काडर), जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर किया गया जिसकी पालना में श्री शर्मा ने दिनांक 21.08.2025 को मध्याहन पूर्व कार्यग्रहण किया गया। श्री शर्मा द्वारा दिनांक 20.08.2025 तक निदेशालय में उपस्थिति दी गयी।

अतः श्री विक्रम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का दिनांक 15.012025 से 16.01.2025 तक, दो दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए निलम्बन अवधि दिनांक 14.01.2025 से 05.08.2025 तक एवं **'आदेशों की प्रतीक्षा'** अवधि दिनांक 06.08.2025 से 20.08.2025 तक **इस प्रकार दिनांक 14.01.2025 से 20.08.2025 तक समस्त वेतन परिलाभों (निर्वाह भत्ते को समायोजन उपरान्त, यदि भुगतान किया गया है तो) का भुगतान संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(वि. 827 / 2013) / अलेसे–II / 434 **दिनांक** :– 17-9-25

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत उपार्जित अवकाश अवधि का इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक के अवकाश लेखे खाते में किया जाना सुनिश्चित करें।(संलग्न मूल सेवापुस्तिका)
2. महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (एक्स काडर), जयपुर।
3. श्री विक्रम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (एक्स काडर), जयपुर ।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सूची।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)